


प्रवेश अधिसूचना/ADMISSION NOTIFICATION

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित उध्मवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाले निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पाठ्यक्रमो का विवरण निम्न प्रकार है:

Applications are invited on the prescribed forms for admission in the following free courses, which are conducted under the Entrepreneurship Programme of Ministry of Tourism, Government of India. The details of the courses are as follows:

क्र० /S.	पाठ्यक्रम का नाम/ Name of the course	पाठ्यक्रम अवधि/ Course duration	न्यूनतम योग्यता/ Minimum Qualification	न्यूनतम आयु/ Minimum Age
01.	बेकर (Baker)	150 घंटे/150 Hrs.	8 वी पास/8 th pass	18 वर्ष/18 Year
02.	हलवाई (Halwai-Indian Sweets)	150 घंटे/150 Hrs.	8 वी पास/8 th pass	18 वर्ष/18 Year
03.	रसोइया तंदूर-(Cook-Tandoor)	150 घंटे/150 Hrs.	8 वी पास/8 th pass	18 वर्ष/18 Year

1. आवेदन शुल्क अनारक्षित/अ०पि०व० के लिए ₹ 100/-, महिलाओं और दिव्यंगो के लिए 50% शुल्क (₹ 50/-) तथा अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए निःशुल्क।
Application Fee for UR/OBC ₹ 100/-, 50% fee for women and PWD candidates (₹ 50/-) and free of cost for SC/ST.
2. इच्छुक अभ्यर्थी www.thims.gov.in से इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं या इच्छुक अभियर्थी कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करके एवं प्रमाण पत्रों (जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रजन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं ,आधार संख्या , बैंक खाते आदि की सत्यापित प्रति पास पोर्ट आकार के फ़ोटो 2) के साथ जमा कर सकते हैं।
Interested candidates can apply for this program from www.thims.gov.in or interested candidates may get the prescribed application form from the office and submit it with requisite certificates (like educational qualification certificates, Aadhaar card, birth certificate and bank accounts etc). The verified copy of the pass can be deposited with 2 photos of the port size.
3. पाठ्यक्रम पूर्ण कर स्वरोजगार प्राप्ति की स्थिति में ₹ 1000/- शैक्षणिक भत्ते का भुगतान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
In the case of self-employment, by completing the course, ₹ 1000/- will be paid by the Ministry of Tourism, Government of India.
4. पूर्व में कौशल कार्यक्रमो के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी आवेदन के पात्र नहीं हैं।
The earlier trained trainees are not eligible for the application in any course of the program.



प्रधानाचार्य/PRINCIPAL